न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1456 / 2026
मनेर थाना कांड संख्या— 496 / 2026

1. उपेन्द्र कुमार पिता कृष्णा राय,
2. अजय कुमार पिता कृष्णा राय,
3. हेमन्ती देवी पति उपेन्द्र कुमार।
साकिनान—शेरपुर, थाना—मनेर, जिला—पटना।

—————— अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से— श्री गोरख नाथ शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

06.08.2026 मनेर थाना कांड संख्या—496 / 2026 धारा—329(3),329(4),115(2) 76,303(2),352,351(2),3(5)बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदकगण मनेर थाना कांड संख्या—305 / 2019 में भी वांछित है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचिका का कथन है कि वर्ष—2019. में मेरे भैसुर अजय कुमार, उपेन्द्र कुमार के द्वारा मुझे बुरी तरह से मारपीट कर सर फाड़ दिया , जिसके तहत मनेर थाना कांड संख्या—305 / 2019 दर्ज कराया, जो न्यायालय में चल रहा है। उपरोक्त लोगों द्वारा धमकी दिया जाता है कि केस उठाओ, नहीं तो रेप कर देंगे और पूरे परिवार को हत्या कर देंगे, इस बात को लेकर दिनांक—19.03.2026 को न्यायालय में पेशी के दौरान मेरे पति के द्वारा इस बात को जज साहेब के पास कहा गया, जिसपर जज साहेब द्वारा अभियुक्तगण को डाट—फटकार लगाते हुये जेल भेज देने की बात कही गयी, इसी बात को मन में रखते हुये दिनांक—19.03.2026 को समय करीब 5.00 बजे संध्या में अजय कुमार, उपेन्दर कुमार मेरे घर में घुस अकेला देख गाली देते हुये मेरे छाती पर एक लात अजय कुमार मार दिया। मैं बैठी थी सो उलट गये, इतने में अजय कुमार गलत नियत से मेरे शरीर पर लात रखते हुये मेरा कपड़ा खिंच व जबरन फारते हुये वेपर्द कर दिया। मैं चिल्लाते हुये भागना चाही तो मुझे गलत तरीके से पकड़कर अभद्र व्यवहार करते हुये मेरा छाती खरोज दिया। मैं चिल्लाने लगी, इतने में उपेन्दर कुमार अपने हाथ में लिये लाठी से ताबड़तोड़ प्रहार किया तथा अजय कुमार अपने पॉकेट से चाकू निकाल मेरे गर्दन एवं पूरा शरीर पेट, छाती एवं गुप्त अंगों पर मारते हुये चोटिल कर दिया, उसी क्रम में हेमन्ती देवी पहूँचते हुये मेरे गले में पहने सोने का जीतिया एचं चेन खिंच ली। आसपास के लोगों को जुटते देख मुझे मरा समझकर छोड़कर भाग निकले। मैं बेहोश हो गयी। होश आने पर मनेर अस्पताल गयी, वहॉ से पी.एम.सी.एच. बेहतर ईलाज हेतु रेफर कर दिया गया। घर के बाहर लगा सी.सी.टी.वी. कैमरा इनलोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। इनलोगों के द्वारा मेरे बच्चे को किडनेप कराने व पति

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1456 / 2026
मनेर थाना कांड संख्या— 496 / 2026

लगातार
06.08.2026

को हत्या कर देने की धमकी दिया जा रहा है। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। मूल अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि धारा—76 व 303(2) बी.एन.एस. को छोड़कर शेष सभी धारायें जमानतीय है तथा इस वाद की सभी धारायें न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय है। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त कराये गये छायाप्रति कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि जख्म प्रतिवेदन का विवरण कांड दैनिकी में नहीं किया गया है, जिसके कारण जख्म का विश्लेषण करना संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्तगण उपेन्दर कुमार, अजय कुमार एवं हेमन्ती देवी द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे व एक—एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण / गिरफ्तार होने पर, धारा—438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000 / —रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर आरोप—पत्र प्राप्ति तक औपबंधिक रूप से अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।